

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/प्रो-05-03/2014...../राँची, दिनांक :

—: आदेश :—

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-5207/वि० दिनांक 14.08.2002 एवं 1746/वि० दिनांक-12.08.2011 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 16.07.2018 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की सम्पन्न बैठक में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्न सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंताओं को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत स्तम्भ-04 एवं स्तम्भ-05 में वर्णित तिथि से प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः वेतनमान् रु. 6500-10,500 एवं रु. 10,000-15,200 में स्वीकृत किया जाता है : —

क्रमांक	कनीय अभियंता का नाम/ पदस्थापन स्थान/गृह जिला/ जन्म तिथि/ आई.डी. कोड	नियुक्ति की तिथि	ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (वेतनमान् 6500-10500)	ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (वेतनमान् 10000-15200)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री राम ईश्वर सिंह/ ग्रा० वि० वि० प्र०, राँची / वैशाली/04.05.1952/ जे०-6083	07.02.79	09.08.99	—	
2	श्री तेज नारायण सिंह/ (सेवानिवृत्त) जलपथ प्रमंडल, बरही/ रोहतास/10.01.1951/ जे०-6272	05.02.79	09.08.99	05.02.03	
3	श्री हरिवंश उपाध्याय/ ग्रा० वि० वि० प्र०, गढ़वा/ जहानाबाद/02.06.44 जे०-1827	01.02.66	09.08.99	09.08.99	
4	श्री राम पदार्थ सिंह/ तेनुघाट बाँध प्रमंडल, तेनुघाट/ मुंगेर/08.01.43/	02.04.88	02.04.00	—	

(ख) यह योजना दिनांक 09.08.99 से प्रभावी है किन्तु इसके अंतर्गत वैचारिक वित्तीय लाभ दिनांक 15.11.2000 से देय होगा।

५

- (ग) वित्तीय उन्नयन के तहत देय वित्तीय लाभ, उन्नयन के फलस्वरूप निर्धारित वेतन का योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) से सत्यापनोपरांत ही देय होगा।
- (घ) उपर्युक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन में अगर कोई त्रुटि पायी जाती है अथवा मंत्रिमंडल निगरानी या किसी अन्य स्रोत से निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होता है तो स्वीकृत लाभ को रद्द/संशोधित कर भुगतान की गई राशि की एक मुश्त वसूली कर ली जायेगी और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।
- (ङ) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./-

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :- 3309

राँची, दिनांक :- 03/10/18

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित सभी मुख्य अभियंता/संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता/अवर सचिव(प्रबंधन)/उप सचिव(प्रबंधन)/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/संबंधित सभी कनीय अभियंता/प्रशाखा-02 एवं 08/वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/बायोडाटा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव